# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 32/2019 (उदयपुर डिक्री)

अम्बालाल पिता जेता जी चमार, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पुत्री जेता जी पत्नी चुन्नीलाल चमार (मेघवाल), निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रूपीबाई पत्नी जेता जी (मेघवाल), निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवारी हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 33/2019 (उदयपुर डिक्री)

अम्बालाल पिता जेता जी चमार, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पुत्री जेता जी पत्नी चुन्नीलाल चमार (मेघवाल), निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती रूपीबाई पत्नी जेता जी (मेघवाल), निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवारी हल्का खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राज.का.अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
मावली प्रा.डिक्री दि[illegible].2[illegible] व अंतिम
डिक्री दि. 09.10.15 प्र.[illegible]04/2013

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> :— 1. श्री आशीष मारू अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री शान्तिलाल चपलोत अभिभाषक रे.सं.

3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 19—10—2023</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव झंझेला में आराजी नंबर 679 से 684 कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है, जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 656 रकबा 17 बिस्वा भूमि जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अभी विधिक विभाजन नहीं हुआ है, फिर भी बिना विभाजन कराये प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि विक्रय करने पर आमादा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर दिनांक 09—04—2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 09—10—2015 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09—04—2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 33/2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09—10—2015 के विरूद्ध अपील संख्या 32/2019 इस न्यायालय में दिनांक 20—08—2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील शान्तिलाल चपलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 104/2013 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन [illegible] कि अभी हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से बालूराम पिता [illegible] आराजियात से सटी हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर पत्थर डालवाकर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहा, जिस पर अपीलान्ट द्वारा मना करने पर उसने बताया कि विवादित जमीन का बंटवारा हो चुका है तथा यह जमीन उसने क्रय कर ली है। जिस पर अपीलान्ट ने नकले प्राप्त की जो उसे दिनांक 05–07–2019 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं, वह न तो उचित प्रकट होते हैं न ही 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील के लिए कोई पर्याप्त कारण है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज किया जावे।

हमने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–04–2014 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–08–2019 को प्रस्तुत की है, जबकि इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस है अर्थात दिनांक 08–06–2014 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 33/2019 करीब 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत हुई। इसी प्रकार अंतिम दिनांक 09–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 32/2019 इस न्यायालय में दिनांक 08–12–2015 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए था, जो दिनांक 20–08–2019 को अर्थात करीब 3½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट ने उक्त विलम्ब का कारण निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 05–07–2019 को प्राप्त होने पर बताया, जो इतने अधिक विलम्ब के लिए न तो उचित कारण है न ही पर्याप्त कारण, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के मामले में प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार उक्त दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–04–2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09–10–2015 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

**अम्बालाल पिता जेता जी चमार, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर** बनाम **श्रीमती गंगाबाई पुची जेता जी पत्नी चुन्नीलाल चमार (मेघवाल), निवासी आसना, तहसील मावली व अन्य**

अपील नं.....**33 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**04**.....**2014**.....

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आशीष मारू**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री शान्तिलाल चपलोत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–04–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

**अम्बालाल पिता जेता जी चमार, निवासी खेमली स्टेशन, तहसील मावली, जिला उदयपुर** बनाम **श्रीमती गंगाबाई पुची जेता जी पत्नी चुन्नीलाल चमार (मेघवाल), निवासी आसना, तहसील मावली व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**09**.....माह.....**10**.....**2015**.....

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री आशीष मारू**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री शान्तिलाल चपलोत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09–10–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:09 IST
Reason: SelfAttested